

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय: सीतापुर-हरदोई (राजमार्ग संख्या-330डी) के कि०मी० 0.000 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्डर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 28.707 हे० संरक्षित वन भूमि के प्रयोग एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई व प्रभाग में प्रभावित 8.28 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 2110/11-सीFP/UP/Road/146875/2021 दिनांक 22.12.2022

महोदय,

विषयांकित क्रम में अवगत कराना है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार कर दिया गया है—

क्र०	आपत्ति	उत्तर
1	प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप का सूक्ष्म एवं अपठनीय टोपोशीट संलग्न की गयी है, जो कि स्वीकार नहीं है।	1:50000 माप की फुल एवं पठनीय टोपोशीट प्रस्ताव में संलग्न कर ऑन लाइन अपलोड कर दी गयी है।
2	प्रस्ताव में संलग्न स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण तिथि अंकित नहीं है।	निरीक्षण तिथि का अंकन कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में संलग्न किए गए वन भूमि की गणना एवं वृक्षों की सूची पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।	वन भूमि की गणना एवं वृक्षों की सूची पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।
4	प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक 1428/11-सी दिनांक 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का डी०एस०एस० एनालिसिस से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	संलग्न है।
5	मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।	मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दी गयी है।

6	प्रस्ताव में संलग्न किए गए लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र पर प्रयोक्ता एजेंसी/प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र पर प्रयोक्ता एजेंसी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।
7	प्रस्ताव में संलग्न किए गए जी0ओ0 रिफ्रेन्स डिजिटल मैप पर प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नहीं हैं।	जी0ओ0 रिफ्रेन्स डिजिटल मैप पर प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर करवा दिए गए हैं।
8	प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दोगुने अवनत वन भूमि का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है, किन्तु प्राक्कलन में सी0ए0 स्थल का क्षेत्रफल संलग्न जी0ओ0 रिफ्रेन्स डिजिटल मैप के क्षेत्रफल से भिन्न अंकित किया गया है, अतः प्राक्कलन में सी0ए0 स्थल का सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 में सही धनराशि अपलोड करें।	सी0ए0 स्थल के सही क्षेत्रफल के अनुसार परियोजना तैयार कर ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है।
9	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
10	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट संलग्न नहीं की गयी है।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट संलग्न कर दी गयी है।
11	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12	एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किए जाने की वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किए जाने की वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
13	एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।

14	एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है, किन्तु गणना में प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित किया गया है।	एन0पी0वी0 की गणना का क्षेत्रफल सही कर संशोधित गणना संलग्न कर दी गयी है।
15	प्रस्ताव में सम्बन्धित विभागों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।
16	प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
17	मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड क्रॉस सेक्शन संलग्न नहीं है।	मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड क्रॉस सेक्शन संलग्न है।
18	परियोजना में 10. कि0मी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव न होने का प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक का संलग्न नहीं है।	परियोजना में 10. कि0मी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव न होने सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
19	मलवा-उत्सर्जन सम्बन्धित प्रमाण-पत्र पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं हैं।	मलवा-उत्सर्जन सम्बन्धित प्रमाण-पत्र पर प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।
20	प्रस्ताव में संलग्न किए गए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किए जाने सम्बन्धित प्रमाण-पत्र पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं हैं।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किए जाने सम्बन्धित प्रमाण-पत्र पर प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।
21	बाधक वृक्षों की दशा में इण्टायर ट्री ट्रॉस्प्लाण्ट (ई0टी0टी0) से सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेंसी का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	बाधक वृक्षों की दशा में इण्टायर ट्री ट्रॉस्प्लाण्ट (ई0टी0टी0) से सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेंसी का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र पर प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

22	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों का पातन किए जाने सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं हैं।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों का पातन किए जाने सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र पर प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।
23	ऑन लाइन भाग-2 में ईको क्लास-1 एवं हरियाली घनत्व 0.1 अंकित है, जबकि एन0पी0वी0 की गणना में ईको क्लास-3 एवं हरियाली घनत्व 0.3 अंकित है तथा हार्ड कॉपी भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.1 अंकित है, जो कि भिन्न-भिन्न है, अतः एक समान सही कर ऑन लाइन अपलोड करें।	हार्ड कॉपी भाग-2 के समान ऑन लाइन भाग-2 संशोधित कर संलग्न व अपलोड कर दिया गया है।
24	ऑन लाइन भाग-2 के क्रमांक-5 व 6 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है।	ऑन लाइन भाग-2 के क्रमांक-5 व 6 में सही डाटा फीड करा दिया गया है।
25	ऑन लाइन भाग-2 के एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल के सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों को रिमार्क सहित अपलोड नहीं किया गया है।	ऑन लाइन भाग-2 के एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल के सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों को रिमार्क सहित अपलोड कर दिया गया है।
26	ऑन लाइन भाग-2 के डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल एवं हार्ड कॉपी भाग-2 के डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में एक समान सही विवरण अंकित नहीं है।	ऑन लाइन भाग-2 के डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल एवं हार्ड कॉपी भाग-2 के डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में एक समान सही विवरण अंकित कर दिया गया है।
27	ऑन लाइन भाग-2 के क्रमांक-13(प्रथम) में 5.12 हे० के०एम०एल० फाइल के स्थान पर 4.90 हे० सी०ए० की के०एम०एल० फाइल अपलोड है, जो त्रुटिपूर्ण है।	ऑन लाइन भाग-2 के क्रमांक-13(प्रथम) में 4.90 हे० सी०ए० की के०एम०एल० फाइल अपलोड कर दी गयी है।
28	ऑन लाइन भाग-2 के क्रमांक-13(प्रथम) एवं क्रमांक-13(तृतीय) में 1.29 हे० सी०ए० स्थल, कोड़रिया वन ब्लॉक की के०एम०एल० फाइल एवं जियो रिफ्रेन्स डिजिटल मैप संलग्न नहीं किया गया है।	ऑन लाइन भाग-2 के क्रमांक-13(प्रथम) एवं क्रमांक-13(तृतीय) में 1.29 हे० सी०ए० स्थल, कोड़रिया वन ब्लॉक की के०एम०एल० फाइल एवं जियो रिफ्रेन्स डिजिटल मैप संलग्न कर दिया गया है।

29	ऑन लाइन भाग-2 के क्रमांक-13(पाँच) में उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के स्थान पर 'वन स्वरूप' का प्रमाण-पत्र अपलोड है, जो त्रुटिपूर्ण है, उसे डिलीट कर उपयुक्तता प्रमाण-पत्र यथास्थान पर अपलोड करें।	'वन-स्वरूप' का प्रमाण-पत्र डिलीट कर 'उपयुक्तता प्रमाण-पत्र' यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
30	ऑन लाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के स्थान पर प्राक्कलन अपलोड किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, उसे डिलीट कर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति यथास्थान पर अपलोड करें।	प्राक्कलन डिलीट कर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति यथास्थान अपलोड कर दी गयी है।
31	पेन ड्राइव में प्रस्तावित सी0ए0 स्थल की के0एम0एल0 फाइल अपलोड नहीं है।	पेन ड्राइव में प्रस्तावित सी0ए0 स्थल की के0एम0एल0 फाइल अपलोड कर संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का उपरोक्तानुसार निराकरण कराते हुए हरदोई वन प्रभाग एवं सीतापुर वन प्रभाग से सम्बन्धित उक्त प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

(बृजमोहन शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

पत्रांक: / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक! / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरदोई को सूचनार्थ प्रेषित।

(बृजमोहन शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर